लोकसभा में 8 दिसंबर 2023 को संसद सदस्य (लोकसभा) श्री कुंबाकुडी सुधाकरन द्वारा "हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने" के संबंध में उठाए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर में मंत्री महोदय के सही नाम का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन द्वारा दिया गया वक्तव्य।

मैं "हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने" के संबंध में 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर में मंत्री महोदय के सही नाम का उल्लेख कर रहा हूं जोकि इस प्रकार है:-

जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया	इसके स्थान पर	यह पढ़ा जाए
उत्तर देने वाले मंत्री महोदय का नाम	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	श्री वी. मुरलीधरन

हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*****

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 980
दिनांक 08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना

980. श्री के. सुधाकरन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इजराइल सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भारत सरकार से कोई मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्रीमती मीनाक्षी लेखी)

(क) और (ख) किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के विषय में संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है।

*****

संशोधित संस्करण

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 980

हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना

980. श्री के. सुधाकरन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इजराइल सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भारत सरकार से कोई मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के विषय में संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है।

*****